M. M. S. Bedi *v.* Union Territory of Chandigarh and another
(D. S. Tewatia, J.)

डी. एस. तेवतिया जे. के समक्ष

एम. एम. एस. बेदी,-याचिकाकर्ता

बनाम

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और अन्य, -उत्तरदाता

आपराधिक विविध 1983 का क्रमांक 2226-एम.

9 मई 1986

दंड प्रक्रिया संहिता (1974 का द्वितीय) - धारा 256, 258 और 300 - एक शिकायत के आधार पर मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्तों को बुलाया गया - तय तारीख पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित - मजिस्ट्रेट ने धारा 256 के तहत कार्रवाई करते हुए शिकायत को डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया और आरोपमुक्त करने का आदेश पारित किया आरोपी-शिकायतकर्ता द्वारा समान आरोपों के संबंध में दूसरी शिकायत दर्ज करना-पहली शिकायत में आरोपमुक्त करने का प्रभाव-बताया गया-दूसरी शिकायत-क्या इसके लिए उत्तरदायी है) को रद्द किया जाए।

माना गया कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1974 की धारा 256 आकस्मिकताओं का प्रावधान करती है, जब शिकायतकर्ता अभियुक्त की उपस्थिति के लिए तय की गई तारीख पर या उसके बाद के किसी भी दिन अनुपस्थित रहता है, जिसके बाद सुनवाई स्थगित की जा सकती है। इसमें प्रावधान है कि यदि दी गई तारीख पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित है तो मजिस्ट्रेट आरोपी को बरी कर देगा जब तक कि मजिस्ट्रेट मामले की सुनवाई को किसी अन्य तारीख के लिए स्थगित करना उचित न समझे।संहिता की धारा 300 का अवलोकन

इससे पता चलता है कि एक बार जब किसी व्यक्ति पर सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जाता है और उसे ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है या बरी कर दिया जाता है तो ऐसा व्यक्ति अन्य बातों के साथ-साथ उसी अपराध के लिए दोबारा मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इसकी उपधारा (5) संबंधित न्यायालय की सहमति के बिना उसी अपराध के लिए संहिता की धारा 258 के तहत आरोपमुक्त करने के मामले में भी मुकदमे पर रोक लगाती है। मामले के इस दृष्टिकोण में, धारा 256 मे समन मामले के संदर्भ में बरी को पूर्ण सुनवाई के बाद बरी किए जाने के रूप में माना जाएगा और इस प्रकार शिकायतकर्ता द्वारा दायर की गई दूसरी शिकायत रद्द की जा सकती है।

(पैरा 6, 7, 8 एवं 14)

सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका। पी.सी. प्रार्थना करते हुए कि यह माननीय न्यायालय प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर की गई निजी शिकायत (अनुलग्नक पी. 3) और उसके बाद की गई कार्यवाही को रद्द करने की कृपा करेगा।

याचिकाकर्ता के साथ वकील टी. पी. एस. मान।

प्रतिवादी नंबर 1 के लिए एच. एस. बराड़, वकील पी. एस. तेजी के साथ।

निर्णय

डी. एस. तेवतिया, जे. (मौखिक)

(1) यह आदेश आपराधिक विविध का निपटान करेगा। 1983 की संख्या 2226-एम और आपराधिक विविध। 1986 की संख्या 363-एम, कानून के एक सामान्य प्रश्न के रूप में इन दोनों याचिकाओं में शामिल है। तथ्यों के लिए, सीआर विविध 1983 का क्रमांक 2226-एम. की सामग्री का संदर्भ दिया गया है।

(2) शाम सुंदर शर्मा, प्रतिवादी नंबर 2, ने धारा 499 और 500 आईपीसी के तहत सर्वश्री एम.एम.एस. बेदी, राजिंदर सिंह राज और एम.एस. मल्होत्रा के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ की अदालत में शिकायत दर्ज की। अभियुक्तों को 14 दिसंबर, 1982 के आदेश द्वारा 5 फरवरी, 1983 के लिए तलब किया गया था। उस तारीख को, तलब किए गए दो अभियुक्त, राजिंदर सिंह राज और एम.एस. मल्होत्रा उपस्थित थे। श्री एम.एम.एस. बेदी को जारी किए गए समन अप्रभावित रहे। हालाँकि, उस तिथि पर, शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए, मजिस्ट्रेट ने धारा 256, 'दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, जिसे इसके बाद संहिता के रूप में संदर्भित किया गया है, के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, अभियोजन के अभाव में शिकायत को खारिज कर दिया और सम्मन किए गए अभियुक्त के खिलाफ आरोपमुक्त करने का आदेश पारित किया।

(3) शिकायतकर्ता ने उक्त आरोपी के खिलाफ 9 फरवरी 1983 को उसी अपराध के लिए और इसी तरह की दूसरी शिकायत दर्ज की

मजिस्ट्रेट ने 10 फरवरी, 1983 को आरोपियों को तलब किया। आरोपियों ने दूसरी शिकायत में उन्हें आरोप मुक्त करने के लिए एक आवेदन दायर किया। उस आवेदन को मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश दिनांक 5 अप्रैल, 1983, अनुलग्नक पी. 5 द्वारा खारिज कर दिया था। उक्त अभियुक्तों में से एक, श्री एम.एम.एस. बेदी ने इस आधार पर दूसरी शिकायत पर अपने

अभियोजन को चुनौती दी कि संहिता की धारा 300 के प्रावधानों के अनुसार एक ही अपराध और एक ही तथ्य पर दूसरी शिकायत सक्षम नहीं है और न्यायालय ऐसी शिकायत का संज्ञान नहीं ले सकता।

(4) मेरी राय में, यह याचिका आगे बताए गए कारणों के आधार पर स्वीकार किए जाने योग्य है।

(5) संहिता की धारा 2(डब्ल्यू) 'समन केस' को और धारा 2(एक्स) 'वॉरन्ट' को परिभाषित करती है, प्रावधानों के मद्देनजर विचाराधीन अपराध एक सम्मन मामले के रूप में विचारणीय था। 'रेंट केस' - संहिता की पहली अनुसूची के अनुसार, अपराध के लिए दोषसिद्धि की स्थिति में अधिकतम सजा केवल दो वर्ष है।

(6) संहिता का अध्याय XX 'मजिस्ट्रेटों द्वारा समन मामलों की सुनवाई' से संबंधित है। धारा 256, जिसका प्रासंगिक भाग निम्नलिखित शर्तों में है, आकस्मिकता का प्रावधान करता है जब शिकायतकर्ता अभियुक्त की उपस्थिति के लिए निर्धारित तिथि पर या किसी भी बाद की तारीख पर अनुपस्थित होता है, जिस पर सुनवाई स्थगित होती है:

"256(1). यदि शिकायत पर समन जारी किया गया है, और अभियुक्त की उपस्थिति के लिए नियत दिन, या उसके बाद के किसी भी दिन, जिस दिन सुनवाई स्थगित की जा सकती है,

शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं होता है, तो मजिस्ट्रेट, यहां पहले कुछ भी होने के बावजूद, बरी कर देगा अभियुक्त, जब तक कि किसी कारण से वह मामले की सुनवाई किसी और दिन के लिए स्थगित करना उचित न समझे; उपरोक्त धारा 256(1) के अवलोकन से पता चलता है कि यदि दी गई तारीख पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित है, तो मजिस्ट्रेट आरोपी को बरी कर देगा, जब तक कि किसी कारण से मजिस्ट्रेट मामले की सुनवाई को किसी अन्य तारीख के लिए स्थगित करना उचित न समझे।

वर्तमान मामले में, मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई को किसी अन्य तारीख के लिए स्थगित करना उचित नहीं समझा और अभियोजन के अभाव में शिकायत को खारिज कर दिया और आरोपमुक्त करने का आदेश पारित कर दिया।

(7) संहिता की धारा 300 का प्रासंगिक प्रावधान, जो यह प्रावधान करता है कि एक बार दोषी ठहराए जाने या बरी किए जाने के बाद 'व्यक्ति' पर उसी अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा:

"300(1) एक व्यक्ति जिस पर एक बार किसी अपराध के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया गया हो और उसे ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो या बरी कर दिया गया हो, जब तक ऐसा दोषसिद्धि या दोषमुक्ति लागू रहती है, तब तक वह मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। फिर से उसी अपराध के लिए, न ही किसी अन्य अपराध के लिए उन्हीं तथ्यों पर, जिसके लिए धारा 221 की उपधारा (1) के तहत उसके खिलाफ लगाए गए आरोप से अलग आरोप लगाया गया हो, या जिसके लिए उसे दोषी ठहराया गया हो। उसकी उपधारा (2).

धारा 258 के तहत बरी किए गए व्यक्ति पर उसी अपराध के लिए दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, सिवाय उस न्यायालय की सहमति के जिसके द्वारा उसे बरी किया गया था या किसी अन्य न्यायालय की सहमति के बिना, जिसका प्रथम-उल्लेखित न्यायालय अधीनस्थ है।

उपरोक्त संहिता की धारा 300 की उप-धारा (1) के अवलोकन से पता चलता है कि एक बार किसी व्यक्ति पर किसी अपराध के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जाता है और उसे ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है या बरी कर दिया जाता है और जबकि ऐसी सजा या दोषमुक्ति लागू रहती है। , ऐसा* व्यक्ति अन्य बातों के साथ-साथ, उसी अपराध के लिए दोबारा मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी नहीं था। उप-धारा (5) एक ही अपराध के लिए संहिता की धारा 258 के तहत आरोपमुक्त करने के मामले में भी मुकदमे पर रोक लगाती है, सिवाय इसके कि संबंधित न्यायालय की सहमति के बिना।

(8) यह न्यायालय दो मामलों में है। हरभगवान दास बनाम दलजीत सिंह (1); और पंजाब राज्य बनाम सुरजीत सिंह और अन्य, (2) ने माना है कि धारा 256 के संदर्भ में बरी किए जाने को - एक समन मामले में - पूर्ण सुनवाई के बाद बरी माना जाएगा।

(1)1972 P.L.R. 489.
(2)1977 C.L.R. 73.

(9) हालाँकि, प्रतिवादी की ओर से आग्रह किया गया है कि चूंकि, पहली शिकायत को खारिज करते समय पारित आदेश 'मुक्ति' का था, न कि 'बरी' का, इसलिए दूसरी शिकायत संहिता की धारा 300 के प्रावधान द्वारा वर्जित नहीं होगी, जो दूसरे अभियोजन के लिए केवल तभी रोक लगाता है जब कोई व्यक्ति 'दोषी' या 'बरी' हो जाता है और 'मुक्ति' के मामले में केवल तभी जब मुक्ति धारा 258 के तहत होती है अन्यथा नहीं।

(10) मेरी राय में, इस विवाद में कोई दम नहीं है। संहिता की धारा 256 के तहत, आरोपी को 'बरी' किया जाना चाहिए न कि 'मुक्त' किया जाना चाहिए। आदेश में गलत अभिव्यक्ति के प्रयोग का कोई परिणाम नहीं होगा और आरोपमुक्ति के उक्त आदेश को दोषमुक्ति के आदेश के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। यदि उक्त प्रस्ताव के लिए किसी प्राधिकार की आवश्यकता है, तो भीम सैन बनाम प्रीतम सिंह आदि (3), और गेस्ट कीन विलियम लिमिटेड बनाम मुरारी लाई और अन्य, (4) का संदर्भ लिया जा सकता है।

(11) इसके बाद यह तर्क दिया गया कि संहिता की धारा 300 के निम्नलिखित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को बरी करना धारा 300 के प्रयोजन के लिए दोषमुक्ति के बराबर नहीं होगा:

"किसी शिकायत को ख़ारिज करना, या अभियुक्त को बरी करना, इस धारा के प्रयोजनों के लिए बरी नहीं है"

इस विवाद में भी कोई दम नहीं है, इसका सीधा सा कारण यह है कि वर्तमान मामले में कोई भी सेवामुक्ति के आदेश को सही नहीं मान रहा है। क्योंकि इस मामले में यह आदेश बरी करने का आदेश है और, किसी भी मामले में, बरी करने का आदेश होना चाहिए था।

(12) प्रतिवादी के वकील ने इस प्रस्ताव के समर्थन में दो निर्णय रुदियप्पा और अन्य बनाम शिवम्मा (5), और मोहम्मद सफी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (6) का हवाला दिया।

(1)1978 C.L.R. (J. & K.) 50.
(2)1984(11) C.L.R. 285.
(3)A.I.R: 1964 Mysore 1.
(4)A.I.R. 1966 S.C. 69.

अभियुक्त को आरोपमुक्त करने से समान तथ्यों पर उसी अपराध के लिए दोबारा मुकदमा चलाने पर रोक नहीं लगती।

(13) उपरोक्त उद्धृत दो मामले एक वारंट-मामले में अभियुक्तों को आरोपमुक्त करने से संबंधित हैं। इसलिए, ये दोनों निर्णय प्रतिवादी के लिए कोई लाभकारी नहीं हैं।

(14) उपरोक्त कारणों से, याचिका स्वीकार की जाती है और दूसरी शिकायत रद्द कर दी जाती है।

H. S. B.

अस्वीकरण – स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उदेश्य के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए

उपयुक्त रहेगा।

नीतिका बांसल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

करनाल, हरियाणा